अध्याय-IV

निगम की शासन-प्रणाली

अध्याय-IV

निगम की शासन-प्रणाली

4.1 निगम की शासन-प्रणाली

4.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित कर 29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया। इसके अतिरिक्त, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रबंधन एवं प्रशासन, निदेशकों की योग्यता एवं नियुक्ति, बोर्ड की बैठकों तथा उनकी शक्तियों एवं लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2014 भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया। कंपनी नियम सहित कंपनी अधिनियम 2013 निगम की शासन-प्रणाली हेतु एक मजबूत ढांचा प्रदान करता हैं। इसमें अन्य बातों के साथ इन अपेक्षाओं का प्रावधान हैं:

- स्वतंत्र निदेशकों के व्यावसायिक आचरण हेतु उनके कर्तव्यों एवं दिशा-निर्देशों सहित उनकी योग्यता {कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 149 (6)}।
- मंडल (बोर्ड) में कम से कम एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 49 (1) में प्रावधान हैं की प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसका प्रदत्त पूंजीगत अंश ₹100 करोड़ या उससे अधिक हो; अथवा जिसका टर्नओवर ₹300 करोड़ या उससे अधिक हो, कम से कम एक महिला निदेशक को उसके मण्डल (बोर्ड) में नियुक्त करें।
- लेखापरीक्षा समिति का अनिवार्य रूप से गठन {धारा 177 (1)}। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति {178(1)} तथा हितधारक (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति {धारा 178(5)}।
- प्रति वर्ष निदेशक-मण्डल की कम से कम चार बैठकों का इस तरह आयोजन की बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {धारा 173 (1)}।

4.1.2 निगम की शासन-प्रणाली पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) के दिशा-निर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगम की शासन-प्रणाली के प्रावधानों के साथ सूचीकरण-करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 49 को क्रमबद्ध करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने कंपनी अधिनियम, 2013 को अधिनियमन के साथ संशोधित किया (अप्रैल व सितम्बर 2014)।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने, आगे, सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक समान लिस्टिंग एग्रीमेंट फोर्मेट जारी किया जिसमें सूचीबद्ध संस्था से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज

बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सूचीकरण दायित्व एवं डिस्क्लोसर आवश्यकताएं) विनिमय, 2015 के प्रावधानों की अनुपालना अपेक्षित हैं। इन विनियमनों में समय-समय पर संशोधन किये गए थे।

4.1.3 राज्य के चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निगम की शासन-प्रणाली के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा

31 मार्च 2020 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, जिनमें से राज्य का एक[54] सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम 2000-01 से परिसमापनाधीन था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची, जिसमें उनके प्रशासनिक विभाग तथा निगमित होने का माह व वर्ष शामिल है, **परिशिष्ट-4.1** में दी गई है। समीक्षा करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर आंकलन रूपरेखा बनाई गई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देश/विनिमय भी आंकलन रूपरेखा में दर्शाए गए थे।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु की गई समीक्षा में राज्य का एक ऋण की सूची में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम[55] तथा राज्य के 25 असूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सूची के हटाने की प्रक्रियाधीन राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम[56] तथा राज्य के दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम[57] सहित) सम्मिलित हैं। 2000-01 से परिसमापनाधीन राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड) को सम्मिलित नहीं किया गया है।

4.2 निदेशक-मण्डल की संरचना

बोर्ड, निर्वाचित अथवा नियुक्त किए गए व्यक्तियों का शासी निकाय है, जो संगठन की गतिविधियों की निगरानी एवं निगम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ निर्धारित करने हेतु नियमित अंतराल पर मिलते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (10) में परिभाषित है की 'किसी कंपनी के सम्बन्ध में 'निदेशक-मण्डल' या 'मण्डल (बोर्ड)' का तात्पर्य कंपनी के निदेशकों के सामूहिक निकाय से है।

4.2.1 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र मत देने में समर्थ स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को मोटे तौर पर शेयरहोल्डर एवं स्टेकहोल्डर के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) की शर्तानुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को कुल निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक के रूप में तथा असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों[58] से कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक को निम्नलिखित परिस्थितियों में निश्चित रूप से नियुक्त करना आवश्यक है :

---

54 *हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।*

55 *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केवल बांड्स को बाज़ार के माध्यम से जारी किया गया)।*

56 *हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।*

57 *एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड।*

58 *कंपनी (निदेशक की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार।*

(i) यदि प्रदत्त पूंजीगत अंश ₹10 करोड़ से अधिक हो;

(ii) यदि टर्नओवर ₹100 करोड़ से अधिक हो; तथा

(iii) यदि सभी बकाया ऋण, डिबेंचर व निक्षेप का योग ₹50.00 करोड़ से अधिक हो।

यह आंकलन किया गया की राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य के 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) एवं विनियमन 17 (1) (बी) की परिधि में आते हैं। आठ में से राज्य के मात्र तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थीं जैसा की **तालिका-4.1** में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका-4.1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या हैं/नहीं हैं

क्र.सं	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	निदेशक-मण्डल में निदेशकों की संख्या	निदेशक-मण्डल में अपेक्षित न्यूनतम स्वतंत्र निदेशक	निदेशक-मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	14-15	2	1 (2018-20)
2.	ब्यास वेली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	7-10	2	0 (2015-18) 2 (2018-20)
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड	9-13	2	2 (2015-20)

उपरोक्त से स्पष्ट है, मात्र हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड ने 2015-20 के दौरान न्यूनतम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी।

राज्य के शेष पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना अपेक्षित था, हालाँकि निदेशक-मण्डलों में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए, जैसा की **तालिका-4.2** के दिया गया है।

तालिका-4.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र.सं	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	वह अवधि जिसके दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए गए
1.	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	2015-20
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2015-20
3.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2015-20
4.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2017-20
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	2015-20

4.2.2 बोर्ड में महिला निदेशक

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149 (1) में प्रावधान हैं की प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसका प्रदत्त पूंजीगत अंश ₹100 करोड़ या उससे अधिक हो ; अथवा जिसका टर्नओवर

₹300 करोड़ या उससे अधिक हो, कम से कम एक महिला निदेशक को उसके मण्डल (बोर्ड) में नियुक्त करें।

इस प्रावधान की शर्तानुसार, राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में महिला निदेशकों की नियुक्ति की जानी थीं। राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड) ने वर्ष 2015-20 के दौरान एक महिला निदेशक को नियुक्त किया था। ब्यास वैली पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2018-20 के दौरान एक महिला निदेशक को नियुक्त किया था। हिमाचल सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने भी 2018-20 के दौरान एक महिला निदेशक को नियुक्त किया था, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं था।

4.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्य-प्रणाली

4.3.1 औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड 4 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को नियुक्ति पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा, जिसमें नियुक्ति के नियम व शर्तें निर्धारित होंगी। यह देखा गया की **तालिका-4.1** में उल्लिखित सभी कंपनियों ने स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति-पत्र जारी किए थे।

4.3.2 आचार-संहिता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (8) में स्वतंत्र निदेशकों के व्यवसायिक आचरण हेतु अनुसूची IV में निर्धारित संहिता निर्देश निहित हैं। यह पाया गया कि **तालिका-4.1** में सूचीबद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जिन्होंने उनके निदेशक -मण्डल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किये, उन्होंने स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति-पत्र के नियम व शर्तों में आचार-संहिता को सम्मिलित नहीं किया था।

4.3.3 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (परिच्छेद III(1)- स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को उचित आरंभिक प्रशिक्षण (इंडक्शन) लेना होगा एवं कंपनी के साथ उनके कौशल, ज्ञान व परिचय को नियमित रूप से अपडेट (अद्यतन) एवं ताज़ा करना होगा। कंपनी से भी स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी में उनकी भूमिका, अधिकार, कंपनी के प्रति उनकी जिम्मेदारी, कंपनी में संचालित गतिविधियों, कंपनी के बिजनेस मॉडल आदि से परिचय करने हेतु उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

यद्यपि यह देखा गया की **तालिका-4.1** में सूचीबद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 31 मार्च 2020 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान बोर्ड में पदासीन स्वतंत्र निदेशकों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

4.4 निदेशक बोर्ड एवं बोर्ड समिति की बैठक

4.4.1 निदेशक बोर्ड की बैठक

निदेशक-बोर्ड शासन की नीतियों का कार्यान्वयन करने वाली एक एजेंसी होता है। यह आवश्यक है कि बोर्ड निगम की शासन प्रणाली पर समुचित ध्यान दे तथा इसके सदस्य नियमित रूप से मिले। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) में निर्धारित है कि बोर्ड वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करें तथा दो लगातार बैठकों के मध्य अधिकतम 120 दिनों का ही अंतराल हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के निगमित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से मात्र दो[59] (26 में से) ने 2018-20 के दौरान अपेक्षित न्यूनतम संख्या में निदेशक-बोर्ड की बैठकें आयोजित की थी। यद्यपि वे कंपनियां जिन्होंने वर्ष के दौरान अपेक्षित न्यूनतम संख्या में निदेशक बोर्ड की बैठकें नहीं की उनका विवरण **तालिका-4.3** में दिया गया है।

तालिका-4.3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां 2015-20 के दौरान चार से कम बैठकें हुई अथवा राज्य के नए निगमित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में अपेक्षित न्यूनतम संख्या से कम बैठकों का वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक-बोर्ड की बैठकों की संख्या				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	3	-	-
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	3	-	-	-	3
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	3	3
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2	2	शून्य	शून्य	शून्य
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2	2	1	1	1
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	-	2	2	शून्य	शून्य
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अव-संरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	3
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	2
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (अगस्त 2016 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	3	-	3	3
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	-	3	-
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	-	-	-	-	3
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	3
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2	2	2	3	3

[59] *शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित व श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड।*

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक-बोर्ड की बैठकों की संख्या				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	3	2
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	-	-	3	2	1
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	1	2	1	1	1
17	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड	-	-	-	2	3
18	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	3	-	3
19	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	3
20	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	-	3	3	-	-
21	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-	-	3	-	-
22	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	1	2	2	2	2
23	हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड (अप्रेल 2016 में निगमित)	लागू नहीं	-	3	-	-
24	रोप वे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम एच.पी. लिमिटेड (जुलाई 2019)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1

हिमाचल पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम ने उसके प्रत्युत्तर में बताया (फरवरी 2021) कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निगम के सभाध्यक्ष (चेयरमेन) द्वारा दी गई तिथि, समय एवं स्थान के अनुसार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2015-17 के दौरान निगम ने चार के बजाय दो बैठकें ही आयोजित की थी तथा 2017-20 के दौरान कोई बैठक नहीं रखी गई। राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) ने कहे गए तथ्यों की पुष्टि की (जनवरी 2021 व अगस्त 2021 के मध्य)।

4.4.2 स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (3) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड एवं बोर्ड समितियों की उन सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। यद्यपि कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया, जैसा कि **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.4: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने बोर्ड/समिति की कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	बोर्ड की बैठकों में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	बैठकों में अनुपस्थिति की संख्या	बोर्ड समिति (लेखापरीक्षा समिति) की कुछ बैठकों में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	बैठकों में अनुपस्थिति की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2 (2015-16)	1	-	-
		1 (2015-16)	1		
		1 (2016-17)	3		
		1 (2017-18)	1		
		2 (2017-18)	1		
		1 (2018-19)	3		
		1 (2019-20)	1		
2	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	1 (2015-16)	1	1 (2015-16)	1
		1 (2016-17)	3	1 (2017-18)	1
		1 (2019-20)	1	-	-

प्रत्युत्तर में, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों ने 2015-16 व 2016-17 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लिया था। उत्तर तथ्य-परक नहीं था क्योंकि दो में से एक स्वतंत्र निदेशक ने 29 मार्च 2016 को आयोजित बोर्ड की बैठक में भाग नहीं लिया था तथा 2016-17 के दौरान एक स्वतंत्र निदेशक ने तीन बैठकों में भाग नहीं लिया था।

4.4.3 आम वार्षिक बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष में, किन्हीं अन्य बैठकों के अतिरिक्त, अपनी आम वार्षिक बैठक के रूप में एक आम बैठक आयोजित करेगी तथा बैठक को बुलाने वाली सूचनाओं में उसे उस रूप में विनिर्दिष्ट करेंगी। कंपनी की एक आम वार्षिक बैठक की तिथि व आगामी आम वार्षिक बैठक की तिथि के मध्य 15 माह से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा। परन्तु आम वार्षिक बैठक के प्रथम बार होने के मामले में उसे कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर तथा किसी अन्य दशा में वित्तीय वर्ष की अंत की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा।

2015-20 के दौरान अथवा उनके निगमन की तिथि से 31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आयोजित की गई आम वार्षिक बैठकों के विवरण **तालिका-4.5** दिए गए हैं।

तालिका 4.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां आम वार्षिक बैठकें आयोजित की गई/नहीं की गई, का वर्ष-वार विवरण

क्र.	कंपनी का नाम	आम वार्षिक बैठक आयोजित किये जाने का वर्ष (हाँ/ नहीं)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अव-संरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2016 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	लागू नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
17	हिमाचल *कंसल्टेंसी ऑरगनाईजेशन लिमिटेड*	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (जुलाई 2018 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ
19	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
21	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
22	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
23	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	नही	नही	हाँ	नही	नहीं
24	हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड (अप्रेल 2016 में निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
25	श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड (अप्रेल 2019 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	रोपवे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट निगम एच.पी. लिमिटेड (जुलाई 2019)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम[60] 2019-20 के दौरान नव निगमित हुए थे तथा राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम[61] ने 2015-20 के दौरान कोई आम वार्षिक बैठक आयोजित नहीं की थीं। राज्य के 14 सार्वजनिक

[60] *श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड व रोपवे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कोरपोरेशन एचपी लिमिटेड।*

[61] *हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम।*

क्षेत्र के उद्यमों ने 2015-20 के दौरान अपेक्षित संख्या में आम वार्षिक बैठकों का आयोजन किया तथा राज्य के शेष नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उपरोक्त मानदंडों की समय-समय पर (कई बार) अनुपालना नहीं की।

हिमाचल पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम ने उसके प्रत्युत्तर में बताया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निगम के सभाध्यक्ष (चेयरमेन) द्वारा दी गई तिथि, समय एवं स्थान के अनुसार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निगम ने 2016-20 के दौरान कोई आम वार्षिक बैठक का आयोजन नही किया जबकि राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम एवं हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड) ने तथ्यों की पुष्टि की (जनवरी 2021 व अगस्त 2021 के मध्य)।

4.4.4 कंपनी की आम वार्षिक बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड एवं बोर्ड समितियों की उन सभी आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। **तालिका-4.6** राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दर्शाती है, जहां स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी की आम वार्षिक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका-4.6: आम वार्षिक बैठकों में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशक

क्र.स.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	निदेशक-बोर्ड के स्वतंत्र निदशकों की संख्या	स्वतंत्र निदशकों की संख्या, जिन्होंने आम वार्षिक बैठक में भाग नहीं लिया	अवधि
1.	**हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित**	2	1	2015-16
		2	2	2016-17
		2	2	2017-18
		1	1	2018-19
		1	1	2019-20

4.5 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति, कंपनी में निगम की शासन-प्रणाली तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इसे वित्तीय रिपोर्टिंग तथा डिस्क्लोज़र (खुलासे) की निगरानी का प्रभार सौंपा गया है। यह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठ, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को प्रोत्साहित करती है। यह लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन एवं प्रभावशीलता की समीक्षा व निगरानी करती है। यह वित्तीय विवरणी एवं उस पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है।

4.5.1 लेखापरीक्षा समिति की प्रयोज्यता

कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं शक्तियों) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 177 में निर्धारित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बोर्ड एवं कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों को बोर्ड की एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है:

- ₹10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां;
- सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका टर्नओवर ₹100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हैं;
- सभी सार्वजनिक कंपनियां, जिनका कुल बकाया ऋण या उधार या ऋण पत्र (डिबेंचर) या जमा राशि ₹50 करोड़ या उससे अधिक हैं।

पिछली लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों की तिथि में प्रदत्त पूंजी अंश या टर्नओवर या बकाया ऋण, या उधार या डिबेंचर या निक्षेप, जिस किसी भी मामले के रूप में विद्यमान हो, उन्हें इस नियम के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लेखापरीक्षा समिति गठित करने के लिए पात्र थे, हालांकि राज्य के केवल छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड सहित जिन्होंने स्वेच्छा से लेखापरीक्षा समिति गठित की थी, हालांकि यह अनिवार्य नहीं था) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, **तालिका-4.7** में दिए गए हैं।

तालिका-4.7: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया

क्रमांक	उन कंपनियों के नाम जहाँ लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड
3	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
5	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

तालिका-4.8 में राज्य के शेष छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम दिए गए हैं जहां उपरोक्त नियमों के अनुपालन में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका-4.8: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जहाँ लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था

क्रमांक	उन कंपनियों के नाम जहाँ लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड
3	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम
5	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड
6	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड

4.5.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) व (2) में निर्धारित हैं कि कम से कम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति हो, जिसके दो-तिहाई स्वतंत्र सदस्य निदेशक हों।

तालिका-4.7 में उल्लिखित राज्य के छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से किसी ने भी यह मानदंड पूरा नहीं किया।

4.5.3 समिति की बैठक

लेखापरीक्षा समिति का गठन करने वाले राज्य के छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सभी ने 2015-20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित की थी, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर, जिसने जनवरी 2009 में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था परन्तु अब तक किसी बैठक का आयोजन नहीं किया। 2016-17 एवं 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड ने कोई लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की।

4.5.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के खंड 5 में कहा गया है कि लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के लिए बुला सकती है एवं कंपनी के आंतरिक व सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा कर सकती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि **तालिका-4.7** में उल्लेखित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा नियुक्त किसी भी लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों व जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया।

4.5.5 सांविधिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की धारा 5 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा करनी होगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि **तालिका-4.9** में दिए गए राज्य के छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से तीन में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के ऐसे निष्पादन मूल्यांकन की समीक्षा नहीं की गई थी।

तालिका-4.9: राज्य सार्वजिक क्षेत्र के उद्यम जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों व आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई/ नहीं की गई

क्रमांक	ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों व आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई	ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों व आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड
3	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम की लेखा परीक्षा समिति ने वित्तीय विवरणियों (ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड सहित) को समय पर अंतिम रूप देने एवं लेखाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने की सिफारिश की। इसने वार्षिक आम बैठकों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं को अपनाने या वार्षिक आम बैठक आयोजित कराने के लिए समय बढ़ाने की भी सिफारिश की। हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक (वित्त) को बाद के वर्षों में कंपनी के लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने की सलाह दी, परन्तु प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई। वर्ष 2019-20 व उसके बाद की वित्तीय विवरणियां बकाया (मई 2021) ही रही।

4.5.6 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/ दस्तावेजों की समीक्षा

राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वैधानिक अधिदेश के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधीन थे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) (iii) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणियों एवं उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का उत्तरदायित्व था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा समिति गठित करने के लिए पात्र राज्य के छ: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित, जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से लेखापरीक्षा समिति गठित की, हालांकि अनिवार्य नहीं) में से, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं की थी।

4.5.7 अन्य समितियां

(i) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1), कंपनी (बोर्डो की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करने आवश्यक है:

- ₹10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां;
- सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका टर्नओवर ₹100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हैं;
- सभी सार्वजनिक कंपनियां, जिनका कुल बकाया ऋण या उधार या ऋण पत्र (डिबेंचर) या जमा राशि ₹50 करोड़ या उससे अधिक हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने के पात्र थे, हालांकि, केवल राज्य के दो[62] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित की। राज्य के शेष सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कोई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की गई थी जिसका विवरण **तालिका-4.10** में दिया गया है।

तालिका-4.10: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था

क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड
3	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम
5	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड
6	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड
7	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड

4.6 कंपनी सचिव की नियुक्ति

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके शासन को सशक्त बनाने एवं कंपनी पर लागू होने वाले अधिनियमों एवं उनके अंतर्गत बने नियमों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए एक कंपनी सचिव की आवश्यकता होती है। कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, के पास एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि **परिशिष्ट-4.2** में दिए गए विवरण के अनुसार 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त करने के पात्र थे, हालांकि, केवल चार[63] राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त किया एवं शेष 10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अंशकालिक कंपनी सचिव के माध्यम से काम किया जा रहा था जैसा कि **तालिका-4.11** में विवरण दिया गया है।

---

62 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड व ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।

63 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।

तालिका-4.11: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जहां कंपनी सचिव को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया था

क्र.	कंपनी का नाम	लेखे की अवधि	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	क्या कंपनी सचिव की अपेक्षित था (10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी)	कंपनी सचिव (पूर्णकालिक/ अंशकालिक
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	18.85	हाँ	अंशकालिक
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2017-18	38.77	हाँ	अंशकालिक
3	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.00	हाँ	अंशकालिक
4	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	12.51	हाँ	अंशकालिक
5	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.02	हाँ	अंशकालिक
6	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	25.00	हाँ	अंशकालिक
7	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	30.82	हाँ	अंशकालिक
8	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2015-16	12.30	हाँ	अंशकालिक
9	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	286.45	हाँ	अंशकालिक
10	एग्रो इंडस्ट्री पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	17.72	हाँ	अंशकालिक

हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने बताया (फरवरी 2021) कि कंपनी सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार की सेवा समिति के अनुमोदन के बाद की जाएगी। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था, क्योंकि निगम ने कभी भी राज्य सरकार के साथ मामला नहीं उठाया। हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त तथ्यों की पुष्टि (फरवरी 2021) की।

4.7 व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) एवं कंपनी (बोर्डों की बैठक एवं उसकी शक्तियां) नियम, 2014 का नियम 7 निर्धारित करता है, कि कंपनी निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगी जिससे वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन की सुचना दे सकें। तथापि, यह देखा गया कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के केवल तीन[64] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया।

[64] *हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड।*

4.8 असूचिबद्धता प्रक्रिया को पूरा करने में असाधारण विलंब

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड राज्य में एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी थी; हालांकि, 1976 से इसके शेयरों का लेन-देन नहीं किया गया था। कंपनी ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर को असूचीबद्ध करने का अनुरोध (दिसंबर 1994) किया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के अनुरोध पर (सितंबर 2002) अर्जनकर्ता द्वारा अर्जित किए जाने वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या के सम्बन्ध में सूचीबद्धता करार के खंड 40 ए(ii) एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियमन 1997 के विनियम 21 (3) के अनुपालन के अधीन कंपनी को असूचीबद्ध करने के लिए सहमति (सितंबर 2002) प्रदान की। 2012 तक असूचीबद्ध करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 30 मई 2012 के परिपत्र के माध्यम से गैर-मान्यता प्राप्त/गैर-परिचालनगत स्टॉक एक्सचेंजों की निकासी एवं विशिष्ठ रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरधारकों को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों के डाइल्यूटेड लिस्टिंग मानदंडों का पालन करने के बाद देशव्यापी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति देकर निकासी की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किए, जिसे नहीं करने पर वह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं रह जाएगी एवं इसे डीसेमिनेशन बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिपत्र दिनांक 22 मई, 2014 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि गैर-मान्यता प्राप्त/गैर-परिचालनगत स्टॉक एक्सचेंजों पर विशिष्ठ रूप से सूचीबद्ध कंपनियों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के मौजूदा असूचिबद्धता मानदंडों का पालन करके स्वैच्छिक असूचिबद्धता का विकल्प भी चुन सकते हैं। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया था कि यदि विशिष्ठ रूप से सूचीबद्ध कंपनियों इसका अनुपालन करने में विफल रहती हैं, तो वे सूचीबद्ध कंपनियां नहीं रहेंगी एवं उन्हें डीसेमिनेशन बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपने 10 अक्टूबर 2016 के परिपत्र में निवेशकों को निकासी की प्रक्रिया का वर्णन किया। नामित स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से प्रमोटर नामित स्टॉक एक्सचेंज के विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल में से एक 'स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता' नियुक्त करेगा। यदि निर्धारित उचित मूल्य सकारात्मक है, तो कंपनी के प्रमोटर सार्वजनिक शेयरधारकों से ऐसी कंपनियों के शेयरों को मूल्यांकक द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके प्राप्त करेंगे। प्रमोटर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता/नामित स्टॉक एक्सचेंज के पक्ष में एक एस्क्रो खाता खोलेगा एवं उसमें निकास मूल्य एवं बकाया सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या के आधार पर कुल अनुमानित राशि जमा करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी राज्य का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है एवं इसके प्रमोटर राज्य सरकार (इक्विटी: ₹7.04 करोड़) एवं अन्य (इक्विटी: ₹0.12 करोड़) हैं, इसलिए, कंपनी ने राज्य सरकार से निकास प्रस्ताव को अपनाकर शेयरों को असूचीबद्ध करने के लिए एवं सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए शेयरों के मूल्यांकन के आधार पर शेयरधारकों को भुगतान के लिए ₹1.47 करोड़ की मंजूरी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए जून 2020 के दौरान उपरोक्त राशि स्वीकृत की है। तत्पश्चात, कंपनी ने उद्योग निदेशक,

हिमाचल प्रदेश से अनुरोध किया (दिसंबर 2020) कि कंपनी के निजी शेयर को असूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार खोले गए एस्क्रो खाते में उस राशि को स्थानांतरित/जमा करें एवं इसे उद्योग निदेशक से एस्क्रो खाते में प्राप्त होने के बाद कंपनी द्वारा जमा (मार्च 2021) किया गया था। हालांकि, 26 साल बीत जाने के बाद भी, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अगस्त 2021 तक असूचिबद्धता प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहे।

4.9 आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका

4.9.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का परिचय एवं महत्व

आंतरिक लेखापरीक्षा को विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं गतिविधियों के वित्तीय प्रदर्शन एवं प्रभावशीलता की निगरानी के लिए उच्च प्रबंधन की सहायता के रूप में मान्यता दी गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा यह भी उचित आश्वासन प्रदान करती है कि संचालन/कार्य प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से किया जाता है, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्ट एवं संचालन के आंकड़ों एवं लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाता है जिससे संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

4.9.2 कानूनी ढांचा

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार, कुछ वर्ग की कंपनियों से आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अपेक्षित है। कंपनी (लेखा) नियम 2014 का नियम 13 निर्धारित करता है कि निम्नलिखित कंपनियों को आंतरिक लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षकों की फर्म नियुक्त करना अपेक्षित है :

(क) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी।

(ख) प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसके पास निम्नलिखित हो :

(i) प्रदत्त शेयर पूंजी: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50.00 करोड़ या उससे अधिक; या

(ii) टर्नओवर (आय): पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹200.00 करोड़ या उससे अधिक; या

(iii) बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण या उधार: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹100.00 करोड़ या उससे अधिक से ज्यादा; या

(iv) बकाया जमा राशि: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹25.00 करोड़ या उससे अधिक

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से, राज्य के पांच[65] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक

---

[65] *हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड में पाँच आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त रुप से संचालित की गई जो अनिवार्य नही थी।*

लेखापरीक्षकों या आंतरिक लेखापरीक्षकों की फर्म को नियुक्त करना अपेक्षित था। राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वयं के स्टाफ द्वारा की जा रही है। शेष चार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में, जैसा कि **तालिका-4.12** में दिया गया है, आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन के बाद आंतरिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) की नियुक्ति के माध्यम से की जाती है।

तालिका-4.12: (राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां चार्टेड अकाउंटेंट की नियुक्ति के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है)

क्र.	कंपनियों के नाम जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है
1	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
4	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड

4.9.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2019-20 में राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण की गई थी। राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में एक वर्ष, राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में दो वर्ष एवं राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में तीन वर्ष से आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-4.3)**। यह देखा गया कि राज्य के शेष छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से, जहां आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, चार नए निगमित थे एवं राज्य के दो[66] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने न तो आंतरिक लेखापरीक्षा की एवं न ही इसके लिए आवृत्ति तय की।

निष्कर्ष

समीक्षा किए गए राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पात्र थे, तथापि केवल राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए, जिनमें से राज्य के केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) ने 2015-20 के दौरान आवश्यक न्यूनतम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी।

प्रावधानों के अनुसार, राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से महिला निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित थी, यद्यपि, 2015-20 के दौरान केवल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने एक महिला निदेशक की नियुक्ति की थी एवं 2018-20 के दौरान ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ने एक महिला निदेशक की नियुक्ति की थी।

---

[66] *हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम एवं एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (अकार्यशील)।*

राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) जिन्होंने अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया, आचार संहिता सम्मिलित नहीं की एवं स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया। कुछ स्वतंत्र निदेशक भी कुछ निदेशक-बोर्ड/बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल नहीं हुए। राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लेखापरीक्षा समिति का गठन करने के लिए पात्र थे, हालांकि, केवल छ: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ऐसी लेखापरीक्षा समिति (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड सहित जिन्होंने स्वेच्छा से एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, हालांकि अनिवार्य नहीं था) नियुक्त की।

राज्य के छ: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से तीन में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन मूल्यांकन की समीक्षा नहीं की गई थी। राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से 23 में कोई व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। राज्य के पात्र 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से केवल चार में पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त किया गया**,** राज्य के शेष 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कंपनी सचिव का कार्य अंशकालिक कंपनी सचिव द्वारा किया जा रहा था।

सिफारिश

हिमाचल प्रदेश सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों पर प्रभाव बनाएं ताकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निगम की शासन-प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें।